यह माना गया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान औसत बैंक ऋण के संबंध में मांगी गई और सूचना बैंकों द्वारा समग्र रूप से देश में प्रदान की गई प्रति व्यक्ति ऋण राशि के संबंध में है। 1991 की जनगणना के आधार पर 1992 और 1993 के के लिए ये आंकड़े क्रमशः 1684 रुपए और 1964 रुपए हैं।

ऋण जमा अनुपात में समयबद्ध सुधार करने हेतु सिफारिशें करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1992 में उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि कृषि को ऋण देने के लिए अपेक्षित आधारभूत समर्थन पूर्ण रूप से विकसित है और इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र अपनी पूर्ण संभाव्यता तक ऋण खपाने की स्थिति में है। लेकिन उद्योग के लिए यह सही नहीं है। इसके परिणाम-स्वरुप ऋण जमा अनुपात में समग्र सुधार धीरे-धीरे और अनियमित है। तदनुसार समिति ने सिफारिश की कि सरकार और बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आधारभूत सुविधाओं, विकास संयोजनों और ऋण वितरण के प्रावधानों में हस्तक्षेप करें और अपने प्रयासों में काफी तेजी लायें।

Opening of more Regional Rural Banks in U.P.

4417. SHRI ISH DUTT YADAV : Will he Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to open more Regional Rural Banks in Uttar Pradesh during the current financial year: and

(b) if so, what are the details thereof including the details of the districts of U.P. where they are likely to be opened ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कर्जदारों द्वारा बैंक ऋण का दुरुपयोग

4418. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्जदारों द्वारा बैंक ऋणों के दुरुपयोग के मामले बैंकों के सामने आये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के संबंध में बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ऋण के दुरूपयोग के मामलों में चूककर्ता अधिकारी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों के दौरान की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्र-शेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके निरीक्षणों से बैंकों के ऋण प्रबंधन की कमियों का पता चलता है। इन कमियों में, कुछ ऋणकर्ताओं द्वारा, मंजूर किए गए ऋण का अपेक्षित प्रयोजन के बजाय इसके प्रयोजन के लिए प्रयोग कर ऋण का दुरूपयोग करना शामिल है।

(ख) ऐसी कमियों के संबंध में पिछले दो वर्षों के लिए बैंक-वार ब्यौरे के संकलन में आवश्यक प्रयास समय खपाने वाले होंगे और प्राप्त होने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) और(घ) यदि बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण का दुरूपयोग किए जाने के बारे में बैंक का अधिकारी किसी ऋणकर्ता के साथ शामिल होने या उसके साथ सांठ-गांठ में शामिल हुआ पाया जाता है तो स्थापित नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अलग-अलग बैंकों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में किसानों को बैंक ऋण

4419. **चौधरी हर मोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में किसानों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने लाभग्राही किसानों को ऋण दिया गया है;

(ग) कितने किसानों को उनके आवेदन करने के क्रमशः एक, दो और तीन महीनों की अवधि के भीतर ऋण उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(घ) क्या किसानों को समय पर ऋण मिलने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1993 और 1994 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने जून 1992 के अंत तक उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि के लिए 447.00 करोड़ रुपए के ऋणों का संवितरण किया था ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है । फिर भी, जिन खातों में उपर्युक्त राशि संवितरित की गई उन खातों की संख्या 3,57,592 थी ।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उस मियाद/अवधि से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं करता है जिसके बाद ऋण संवितरित किए जाते हैं । फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अंदर-अंदर और 25000 रुपए से अधिक की ऋण सीमा के सभी आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अंदर-अंदर निपटा दें । कमजोर वर्गों के प्रस्तावों को उच्च प्राधिकारियों के पास भेजे बिना ऐसे प्रस्तावों को मंजूर करने के विवेकाधिकार शाखा प्रबंधकों को सौंपे जा सकते हैं । कमजोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को शीघ्र ही निपटाना होता है । ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को ऋण आवेदन पत्र मंजूर करने की उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि अधिकांश ऋण आवेदन पत्र शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जायें ।

ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए ब्लाक

*4420. **चौधरी हर मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए दस ब्लाकों को चुना है,

(ख) यदि हाँ, तो इन ब्लाकों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन ब्लाकों में प्रायोगिक आधार पर किये गये कार्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए 10 ब्लाकों का चयन किया है । ऐसे ब्लाकों के नाम तथा उन राज्यों के नाम जहां वे अवस्थित हैं, नीचे दिए गए हैं :-

ब्लाक का नाम	राज्य
भीमगल	आंध्र प्रदेश
गया	बिहार
रैत	हिमाचल प्रदेश
दानसल	जम्मू व कश्मीर
कोठमंगलम	केरल
बोरीगुमा	उड़ीसा
कृष्णगर्भाल	राजस्थान
चौबेपुर	उत्तर प्रदेश
पुरूलिया	पश्चिम बंगाल
केसला	मध्य प्रदेश

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1983-84 के दौरान ग्रामीण औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में 10 चयित ब्लाकों में अभिनव प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया था । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्लाक चयन कार्यक्रम के लिए 3 लाख रुपए प्रति ब्लाक वार्षिक सहयोग था । यह कार्यक्रम जून 1991 में पूरा हुआ था । क्योंकि यह महसूस किया गया था कि उस समय तक आत्मनिर्भर विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा । 31-3-93 तक उपर्युक्त वर्णित ब्लाकों में 2187 एककों की स्थापना की गई जिसमें 226.04 लाख रुपये लगाए गए और 5845 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जैसे अन्य अधिकरण अब ब्लाक अंगीकरण कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं ।

Promotions in Customs Department

4421. SHRI MOOL CHAND MEENA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether 'B' Class Officers in Customs Department have been promoted as 'A' Class Officers during the last three years; if so, what is the total number of such Officers ;

(b) what is the number of Officers belonging to Scheduled Tribes promoted during the last three years; and

(c) what are the reasons for effecting promotions from 'B' Class to 'A' Class four times in one year ?